

तथा इन्हें राज्य के सामाजिक तथा आर्थिक नीति के ढाँचे के अनुरूप होना अनिवार्य था एवं वे औद्योगिक विकास तथा नियमन अधिनियम (Industries Development and Regulation Act - IDRA) व अन्य संबन्ध कानून के नियंत्रण और नियमन के अधीन थे।

उद्योगों के उपरोक्त वर्गीकरण में एक अंतर्निहित मुकाबला सरकारी कंपनियों (CPSUs) के पक्ष में था। जो निष्पत्ति प्रक्रिया के अनुरूप भी था। एक तरह स्वार्थानुतिक क्षेत्र का विस्तार लगभग आर्थिक नीति का एक निर्देशक तत्व बन गया है तथा सरकारी कंपनियों (PSUs) का आने वाले समय में विस्तार हुआ।

इसी औद्योगिक नीति के अन्तर्गत तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सरकारी कंपनियों (PSUs) को "आधुनिक भारत का मंदिर" (Temples of Modern India) कहा और उनके महत्व की ओर संकेत किया। स्वतंत्रता के शीघ्र बाद एक ऐसा समय आया, PSUs को अर्थव्यवस्था में वृद्धि का बढ़ाने तथा वृद्धि का मुख्य माध्यम माना जाता था। अर्थव्यवस्था में 1988-89 तक हुआ स्वार्थानुतिक क्षेत्र के उद्यमों का तीव्र विस्तार उन्हें से अधिक सकल घरेलू उत्पाद के लिए निमोदक था।"

१. अनुज्ञापत्र का प्रावधान -

स्वतंत्र भारत का एक महत्वपूर्ण विकास, अनिवार्य अनुज्ञापत्र का प्रावधान इस औद्योगिक नीति में निहित था। अनुसूची B के सभी उद्योग तथा अनुसूची C के अनेक उद्योग इस प्रावधान के अन्तर्गत आते हैं। इस प्रावधान ने अर्थव्यवस्था में तथाकथित

"लाइसेंस कोटा-परमिट" व्यवस्था की स्थापना की।

3. सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार

इस नीति के अनुसार, तीव्र औद्योगिकरण तथा अर्थव्यवस्था के विकास के लिए सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार जरूरी था। इस औद्योगिक नीति द्वारा सरकारी कंपनियों की प्रवृत्ति की गई। इसके तहत भारी उद्योगों पर बल दिया गया।

4. क्षेत्रीय असमानता का समाधान

बढ़ती क्षेत्रीय असमानता को कम करने के लिए यह नीति अर्थव्यवस्था के अत्यन्त पिछड़े तथा अविकसित क्षेत्रों में नई सरकारी कंपनियों को स्थापित करने के लिए प्रतिक्रम था।

5. लघु उद्योग पर बल -

इस नीति के तहत लघु उद्योगों तथा खाद्य (सं ग्रामीण उद्योगों) पर बल दिया गया।

6. कृषि क्षेत्र -

इस नीति के तहत कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई।

* महत्व (Importance) -

यह विरासतों द्वारा भारत की सबसे औद्योगिक नीति मानी जाती है; क्योंकि इसके द्वारा न केवल औद्योगिक विस्तार को निर्धारित किया गया बल्कि 1991 तक

कुछ लघु परिवर्तनों के साथ अर्थव्यवस्था की प्रकृति एवं क्षेत्र को संरचनाबद्ध भी किया गया। सभी औद्योगिक नीतियों इस नीति में लघु परिवर्तन मात्र थे, जबल 1991 की नई औद्योगिक नीति को छोड़कर, जिसमें इसमें गहरे तथा संरचनात्मक परिवर्तन किए, जिसके द्वारा भारत ने एक वृहत आर्थिक सुधार की प्रक्रिया की शुरुआत की।

1969 की औद्योगिक नीति

(Industrial Policy Statement, 1969)

यह मूलतः अनुज्ञापत्र की नीति (Licensing Policy) थी, जिसका उद्देश्य 1956 की औद्योगिक नीति द्वारा शुरु किए गए लाइसेंसिंग नीति की कमियों को दूर करना था। विश्वजों तथा उद्योगपतियों की यह शिकायत थी कि औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति अपने उद्देश्यों के विपरीत काम कर रहा था। सामाजिक आदर्शों तथा राष्ट्रवादी भावनाओं से प्रेरित होकर लाइसेंसिंग नीति के निम्नलिखित मूलाधार थे :-

- i) सभी के विकास के लिए संसाधन का उपयोग
- ii) संसाधन उपयोग में उद्योग के लिए प्राथमिकता।
- iii) लाइसेंस प्राप्त उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुओं का मूल्य नियंत्रण।
- iv) आर्थिक शक्ति के केंद्रीकरण को रोकना।
- v) निवेश का वांछित दिशा में निर्दिष्ट करना (निर्माण प्रक्रिया के अनुसार)